न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद 83/2012

वादीगण

1. लाभुराम पुत्र रूपाराम
2. रामाराम पुत्र रूपाराम
3. जेठाराम पुत्र रूपाराम
4. ताराचन्द पुत्र रूपाराम
5. श्रीमती भूरीदेवी पत्नी रूपाराम जातियान माली निवासीयान पचपदरा
6. चुकी पुत्री रूपाराम पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी बालोतरा
7. मोहनीदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी निम्बाराम माली हाल बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पुखराज पुत्र ईश्वरराम जाति माली निवासी मालियों का वास पचपदरा तहसील पचपदरा
2. राजस्थान राज्य जरीय भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा एवं उपपंजीयक पचपदरा तहसील पचपदरा

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश धारा 88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति :– श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण ।

निर्णय दिनांक : 27.06.2022

वादीगण ने वर्तमान वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस आशय का पेश किया कि राजस्व गांव पचपदरा में वादीगण के कदीमी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 106 रकबा 05.09 बीघा व खसरा सं. 109 रकबा 06. 07 बीघा कुल रकबा 11.16 बीघा आयी हुई है, राजस्व गांव पचपदरा की सीमा में वादीगण के हकपुर्वाधिकारी स्व. रूपाराम के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमियां पुराने खसरा सं. 24/2 रकबा 05 बीघा, खसरा सं. 25 रकबा 09.09 बीघा, खसरा सं. 36/1 रकबा 07 बीघा, खसरा सं. 546/2 रकबा 10.13 बीघा कुल रकबा 32.02 बीघा अवस्थित रही, राजस्व गांव पचपदरा खालसा गांव रहा, इसलिए खालसा गांव में एक से ज्यादा सेटलमेन्ट ऑपरेशन प्रभाव में आये, एवं दोनों सेटलमेन्ट ऑपरेशन की जरीब में अन्तर रहा, प्रथम भू–प्रबन्ध की जरीब का नाप 132 गुणा 132 बराबर 17424 वर्गफीट बराबर 01 बीघा था, एवं द्वितीय सेटलमेन्ट की जरीब का नाप 165 गुणा 165 बराबर 27225 फीट बराबर 01 बीघा था, उपरोक्त कृषि भूमियों की खातेदारी धारा 15 रा.का.अ. के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण के हकपुर्वाधिकारी रूपाराम अकेले के हक में नामान्तरणकरण [illegible] 10. 04.1962 को पारित कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में उपरोक्त ख[illegible] की [illegible]री दर्ज की, तत्समय से निरन्तर सतत रूप से वादीगण के हकपुर्वाधिकारी रूपाराम [illegible] रहे, तब तक रूपाराम का तथा उनके देहान्त के बाद आज रोज तक वादी[illegible] बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त कायम है। भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा वादीगण के हकपुर्वाधिकारी रूपाराम के खातेदारी के पुराने खसरा [illegible]/2, 25, 36/1 के नये बने समरूपी खसरा सं. 106 रकबा 05.09 बीघा, खसरा सं. 109 रकबा 06. 07 बीघा कुल रकबा 11.16 बीघा बिना किसी आधार के ही प्रतिवादी सं. 01 के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अनाधिकृत तौर से बिना क्षेत्राधिकार के, बिना किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी या बिना किसी बेचान, बक्षीस, रहन, हस्तान्तरण, वसीयत, हकतर्क के ही दर्ज कर दिया, एवं शेष खसरान की खातेदारी रूपाराम के नाम दर्ज की,

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:18:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

जबकि सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त कायम रहा, वादीगण के कब्जा काश्त मे प्रतिवादीगण ने कभी उजर ऐतराज या दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नहीं की, और ऐसा करने का अधिकार ही प्रतिवादीगण को प्राप्त था, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि भू–प्रबन्ध विभाग को मात्र पुरानी प्रविष्टियों को नई जरीब की प्रविष्टियों अनुसार दोहराना होता है, सेटलमेन्ट विभाग को किसी भी व्यक्ति के खातेदारी भूमि के हको में कमी या बढ़ोतरी करने का कोई अधिकार नहीं है, और न ही सेटमेन्ट विभाग किसी व्यक्ति की खातेदारी हक समाप्त कर सकते है और न किसी को खातेदारी हक दिये जा सकते है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज अवैध एवं गलत प्रविष्टियों की आड़ में प्रतिवादी सं. 01 ने वादीगण के सुस्थापित कब्जा काश्त में अवैध व अनुचित तरीके से दखल हस्तक्षेप करने की मंशा स्वरूप असफल प्रयास किया, जिस पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने पर श्री न्यायालय में वाद पत्र अधिकार घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किय गये, प्रतिवादी सं. 1 स्वंय मय अधिवक्ता उपस्थित हुए, तथा वाद पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा निम्नांकित विवादयक कायम किये गये।

1. आया वादीगण खेत खसरा नम्बर 106 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा , खसरा नम्बर 109 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा , पुराने खसरा नम्बर 24/2, 25, 36/1 का भाग है। जिम्मे वादीगण?
2. आया वादीगण खसरा नम्बर 106 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा , खसरा नम्बर 109 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा का खातेदार टिनेट घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?
3. आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?
4. आया प्रतिवादी का कब्जा उक्त भूमि पर रूपाराम के जीवनकाल से बतौर मालिक होने से वादी का वाद म्याद बहार है?

उपरोक्त तनीकायात कायम करने के बाद साक्षी वादीगण तलब की गयी

वादीगण की और से साक्षी वादीगण में गवाहान् पी.डब्ल्यु 01 लाभुराम, पी.डब्ल्यु. 02 बाबुलाल के बयान कलमबद्ध करवाये गये एवं तथा प्रतिवादीगण वकील के द्वारा साक्षीवादीगण से जिरह करने के उपरान्त जिरह की गई। किन्तु उसके बाद साक्षी प्रतिवादीगण हेतु न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2018 से दिनांक 12.02.2021 तक 28 अवसर प्रदान किये गये, तत्पश्चात् प्रतिवादीगण वकील द्वारा उनकी ओर से वादीगण के वाद पत्र में पैरवी करने की हिदायत नहीं होने से पैरवी करने से मना किया गया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन स्वरूप प्रतिवादीगण संख्या 1 की और से कोई साक्ष्य न्यायालय मे कलमबद्ध नहीं करवायी।प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर देने के बावजुद कोई साक्ष्य पेश नहीं की जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस [illegible] वादीगण अधिवक्ता सुनी। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया, कि वादीगण द्वारा [illegible] पत्र में व्यक्त तथ्यों आधारों को साबित करने के संबंध में जो मौखिक साक्ष्य दी [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से प्रदर्श 06 अंकित करवाये, वाद पत्र में व्यक्त आधारों [illegible] मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधारों को नहीं मानने का कोई हेतुक पत्रावली पर कोई विद्यमान नहीं है एवं न्यायिक दृष्टान्त 1. RRT 2001(1) Page - 244 आईदान [illegible] बनाम राजस्थान राज्य वगैरा तथा 2. RRT 2001(1) Page - 596 बिशन सिंह बनाम मगनसिंह वगैरा 3. RRT 2019(2) Page - 970 राजस्थान राज्य बनाम पुरन की प्रतियां बहस के दौरान वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत की गयी।

हमनें वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया, तनकीवार विवेचन किया गया

आया वादीगण खेत खसरा नम्बर 106 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा , खसरा नम्बर 109 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, पुराने खसरा नम्बर 24/2, 25, 36/1 का भाग है। तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण पर था। वादीगण की और प्रस्तुत

Signature Not Ver
Digitally signed by Nar
Date: 2022.10.01 19:1
Reason: SelfAttested

साक्षी वादीगण में साक्षी वादीगण में गवाहान् पी.डब्ल्यु 01 लाभुराम, पी.डब्ल्यु. 02 बाबुलाल के बयान एवं प्रदर्श करवाये गये एवं दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये, गवाह पी.डब्लू 1 लाभूराम के बयानों अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त होना जाहिर किया गया है, गवाह पी.डब्लू बाबूलाल के बयानों के अनुसार यह कहना गलत है कि उक्त खेत पर पुखराज का कब्जा काश्त हो इस कारण से सेटलमेंट वाले ने पुखराज का नाम सही दर्ज किया हो, उसने पुखराज को कभी नहीं देखा। वादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 66 संवत 2018 प्रदर्श 05, जमाबंदी चोसाला संवत 2022 से 2025 एवं 2026 से 2029 तथा द्वितीय सेटलमेंट संवत 2024 प्रदर्श–02 ता 4 के अनुसार खेत खसरा नम्बर 106 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा , खसरा नम्बर 109 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, पुराने खसरा नम्बर 24/2, 25, 36/1 के भाग है। जिसके कॉलम संख्या 23 में कृषक का नाम रूपा माली दर्ज किया गया नवीन खसरा संख्या 106 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा , खसरा नम्बर 109 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, की भूमि कॉलम संख्या 24 में वर्तमान कृषक का नाम पुखराज वल्द इसरराम कौम माली दर्ज किया गया है, जमाबन्दी सवत् 2022 से 2025 से प्रदर्श 04, व संवत् 2026 से 2029 प्रदर्श 03, म्युटेशन सं. 66 प्रदर्श 05, खतौनी संवत् 1999 प्रदर्श 06, प्रदर्श 03, प्रदर्श 04, प्रदर्श 05 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि उक्त खसरों में रूपा वल्द ईशरा खातेदार दर्ज है, लिहाजा तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02 आया वादीगण खसरा नम्बर 106 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा , खसरा नम्बर 109 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा का खातेदार टिनेट घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर था। वाद पत्र में व्यक्त आधारों एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधारों को नहीं मानने का कोई हेतुक पत्रावली पर कोई विद्यमान नहीं है एवं न्यायिक दृष्टान्त 1. RRT 2001(1) Page - 244 आईदान बनाम राजस्थान राज्य वगैरा तथा 2. RRT 2001(1) Page - 596 बिशन सिंह बनाम मगनसिंह वगैरा 3. RRT 2019(2) Page - 970 राजस्थान राज्य बनाम पुरन में स्पष्ट साबित है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजों के अनुसार स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त आराजी जो वादीगण के हकपुर्वाधिकारी है, उक्त प्रविष्टियां प्रतिवादी सं. 1 पुखराज के नाम किस आदेश, निर्णय, डिकी, दस्तावेज के माध्यम से दर्ज किया, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है, विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है, कि भु–प्रबन्ध विभाग को खातेदार का नाम बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा करवो का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत होने से तनकी संख्या 3 को भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04 आया प्रतिवादी का कब्जा उक्त भूमि पर रूपाराम के जीवनकाल से बतौर मालिक होने से वादी का वाद म्याद बहार है? प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप तनकी संख्या 4 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन कर [illegible] है, [illegible] अवलोकन व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 02 खसरा बन्दोबस्त से [illegible] है, वर्तमान खसरा सं. 106, 109 पुराने खसरा सं. 36/1, 24/2 व 25 से बना है, [illegible] खातेदार रूपाराम माली अंकित है, जमाबन्दी सवत् 2022 से 2025 से प्रदर्श 04, [illegible] 2026 से 2029 प्रदर्श 03, म्युटेशन सं. 66 प्रदर्श 05, खतौनी संवत् 1999 प्रदर्श 06, प्रदर्श 03, प्रदर्श 04, प्रदर्श 05 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि उक्त खसरों में रू[illegible] वल्द ईशरा खातेदार है, जो वादीगण के हकपुर्वाधिकारी है, उक्त प्रविष्टियां प्रतिवादी सं. 1 पुखराज के नाम किस आदेश, निर्णय, डिकी, दस्तावेज के माध्यम से दर्ज किया, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत न्याय द्धष्टान्त हस्तगत वाद में पूर्णतया छाया होते है, ऐसी स्थिति में विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है, कि भु–प्रबन्ध विभाग को खातेदार का नाम बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh S
Date: 2022.10.01 19:18:43 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(RDO) बालोतरा

उपरोक्त विवेचन से वादीगण ने वाद पत्र में व्यक्त आधारों को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित किया गया है, इसलिए वाद पत्र वादीगण स्वीकार करने योग्य होने से वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर मौजा पचपदरा के खसरा सं. 106 रकबा 05.09 बीघा, खसरा सं. 109 रकबा 06.07 बीघा कुल रकबा 11.16 बीघा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि उक्त भूमियों के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज अंकित करें, प्रतिवादी सं. 01 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है, कि वादीगण के कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप कारित नहीं करें, इस आशय की डिक्री जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature No

Digitally signed
Date: 2022.10.0
Reason: SelfAtt